रजि॰ सं॰ डी॰ 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 164ब] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 20, 1972/ज्येष्ठ 30, 1894
No. 164B] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 20, 1972/JYAISTHA 30, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Food)

ORDER

New Delhi, the 20th June 1972

G.S.R. 315(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby rescinds, with immediate effect, the orders of the Government of India in the late Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Department of Food) Nos. G.S.R. 1111, 1078, 1524 dated respectively the 24th July, 1967, 25th April, 1969, 6th October, 1971:

Provided that such rescission shall not affect the previous operation of the said Orders or any order made thereunder by a State Government and anything duly done under such Order by the State Government concerned or by any officer or authority subordinate to the State Government concerned.

[No. 203(Genl)(2)/82/72-PY. II.]

A. K. MAJUMDAR, Jt. Secy.

कृषि मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली 20 जून, 1972

सं०का०नि० 315(अ).—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के भूतपूर्व खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय (खाद्य विभाग) के आदेश सं० सा० का० नि० 1111, 1078, 1524 क्रमशः तारीख 24 जुलाई, 1967, 25 अप्रैल, 1969, 6 अक्टूबर, 1971 को विखण्डित करती है और यह विखण्डन तुरन्त प्रभावी होगा :

परन्तु ऐसे विखण्डन का उक्त आदेशों के या किसी राज्य सरकार द्वारा तद्धीन बनाये गये किसी आदेश के पूर्ववर्ती प्रवर्तन पर और संयुक्त राज्य सरकार द्वारा या संयुक्त सरकार के अधीनस्थ किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा ऐसे आदेश के अधीन सम्यक्तः की गई किसी बात पर प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

[सं० 203 (जनरल) (2)/82/172-पी वाई-II]

ए० के० मजुमदार, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972